कार्यकारी सार

सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना, 2013 (वीसीईएस) पर निष्पादन लेखापरीक्षा 35 चयनित कमिश्नरियों में यह अध्ययन करने के लिए की गई थी कि क्या योजना ने अपना अभिप्रेत लक्ष्य उसके कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा बनाए गए तंत्र, प्रणालीगत विफलताओं को सम्बोधित किया गया है जिनके कारण वीसीईएस आवश्यक था, और उद्घोषकों द्वारा पश्च वीसीईएस अनुपालन की मॉनीटरिंग से संबंधित आश्वासन प्राप्त कर लिया है।

योजना के मुख्य लक्ष्य अर्थात गैर फाइलरों या जिन फाइलरों ने रिटर्न फाइल करना बन्द कर दिया है को प्रोत्साहित करना और कर आधार बढ़ाना को प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि जब योजना की घोषणा की गई थी 10,00,000 गैर/स्टाप फाइलरों के प्रति केवल मौजूदा 66,072 के साथ साथ नए पंजीकृतों ने वीसीईएस के अन्तर्गत ₹ 7,750 करोड की राशि के कर देय घोषित किए थे और फाइल की गई केवल लगभग 22 प्रतिशत घोषणाएं नए पंजीकरणों से संबंधित थी। निष्पादन लेखापरीक्षा से योजना के डिजाइन और समर्थ प्रावधानों में कमियों का, विभिन्न स्तरों में निर्धारित प्रावधानों के अननुपालन और कर प्रशासन में अपर्याप्तताओं का पता चला जैसा नीचे विस्तार से दिया गया हैः-

क. योजना में सही सेवा कर देयों की उद्घोषणा के लिए छूट देना परिकल्पित था। घोषित कर देयता के समर्थन में कोई आधारभूत दस्तावेज निर्धारित नहीं किया गया था और उद्घोषणा की सत्यता का सत्यापन केवल अकंगणितिय सटीकता की जांच तक सीमित था। यहां तक कि उद्घोषणा के सम्मुख स्पष्ट तथ्यों का सत्यापन तक नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.1)

ख. लम्बित मांग नोटिस, पूछताछ, लेखापीक्षा या जांच, जो योजना के लिए उद्घोषक को अयोग्य बनाते हैं के संबंध में बोर्ड द्वारा दिए गए

स्पष्टीकरण, प्रावधानों और योजना के आशय के विपरीत थे। इसके परिणामस्वरूप, 332 मामलों में ₹ 129.84 करोड की राशि का अनाभिप्रेत लाभ दिया गया।

(पैराग्राफ 2.2.1, 2.2.2 और 2.2.3)

ग. वीसीईएस आवेदन प्रपत्र के त्रुटिपूर्ण डिजाइन और बोर्ड द्वारा उचित डाटाबेस के गैर निर्धारण से विभाग पश्च योजना विश्लेषण और मॉनीटरिंग के लिए मूल्यवान डाटा प्राप्ति के लाभ से वंचित रहा।

(पैराग्राफ 2.3.1 और 2.3.3)

घ. सेनवैट (इनपुट) क्रेडिट का लाभ लेने के लिए सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 में निर्धारित सुरक्षा उपायों पर वीसीईएस के तहत भुगतान का भविष्य में सेनवैट क्रेडिट प्राप्ति के लिए मान्य करते समय उचित ध्यान नहीं दिया गया था।

(पैराग्राफ 2.3.5)

ङ. बीस कमिश्नरियों में ₹ 85.97 करोड़ के कर देयों वाले 444 मामलों में हमने योग्यता मापदण्ड के सत्यापन में कमियां पाई।

(पैराग्राफ 3.4)

च. ₹ 20.96 करोड़ के कर देयों वाले 169 मामलों में हमने पाया कि यद्यपि उदउद्घोषकों ने निर्धारित देय तिथियों के अनुसार उद्घोषित देय करों का भुगतान नहीं किया था, उद्घोषणाएं योजना के लिए अयोग्य नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 3.7 और 3.8)

छ. लेखापरीक्षा ने अन्य प्राधिकरणों (अर्थात आय कर विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और कम्पनियों के रजिस्ट्रार) के पास उपलब्ध विवरणों के साथ दो कमिश्नरियों में उद्घोषित कर देयों का प्रति सत्यापन उद्घोषणाओं की सटीकता की जांच के लिए किया और आठ मामलों में ₹ 4.35 करोड़ तक के कर देयों की कम उद्घोषणा पाई।

(पैराग्राफ 4.2)

ज. वीसीईएस जैसी एक बार छूट योजना केवल तभी उस समस्या के निवारण का एक बार वास्तविक समाधान हो सकता है जब कर प्रणाली को मजबूत किया जाए और अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र को कड़ा बनाया जाए। 15 कमिश्नरियों में, जहां लेखापरीक्षा को आंकडे उपलब्ध करवाए गए थे हमने पाया कि वीसीईएस से पूर्व फाइलिंग के लिए देय केवल 62 प्रतिशत रिटर्न वास्तव में फाइल किए गए थे और विभाग द्वारा गैर-फाइलरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 4.3.1)

झ. विभाग ने ₹ 23.02 करोड़ की राशि वाले 78 अस्वीकृत मामलों के संबंध में घोषित कर देयों के शेष या लागू ब्याज और शास्ति की उगाही के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

(पैराग्राफ 4.3.2)

ञ. योजना का प्रारंभ अनुचित जल्दबाजी में किया गया था क्योंकि विभाग ने विभिन्न लेखापरीक्षा आपत्तियों पर 'समय की कमी' उत्तर दिया था।

(पैराग्राफ 5.1)

सिफारिशों का सार

भाग-1 <u>भावी छूट योजनाएं बनाते समय ध्यान में रखी जाने वाली सिफारिशें</u>

1. ऐसी योजनाओं के लिए स्व घोषणाओं के साथ साथ विभाग द्वारा संवीक्षा एवं आगे की कार्रवाई हेतु मौजूदा स्वचालित प्रणालियों के समकलित आईटी प्लेटफार्मों के उपयोग पर विचार किया जाए।
2. उद्घोषकों द्वारा फाइल की गई घोषणा की सत्यता के सत्यापन हेतु जांच सूची निर्धारित करना।
3. ऐसी योजनाओं से संबंधित चालानों की पहचान आईटी प्लेटफार्मों के उपयोग से अवश्य ही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
4. जारी प्रावधान/स्पष्टीकरण मौजूदा प्रावधानों के साथ साथ योजना के निश्चित उद्देश्य में निर्धारित संरक्षण को कम न करें।

भाग-2 <u>पश्च वीसीईएस सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिशें</u>

5. सेनवैट क्रेडिट की अनुमति केवल उन सेवा कर भुगतानों के संबंध में दी जानी चाहिए जिनके लिए सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 में निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध हैं।

6. छूट योजना विभागीय जांच तथा सर्तकता विंग के माध्यम से कर अपवंचको को कर नेट में लाने के लिए व्यापक अभियान द्वारा चलाई जानी चाहिए जिससे उन चूककर्त्ताओं को प्रभावशाली हतोत्साहित करने वाला प्रभाव और कडा संदेश दिया जा सके जो योजना के बावजूद सामने नहीं आए थे तथा नियमित करदाताओं का मनोबल बढाया जा सकें।

7. विवरणियों की फाइलिंग की मॉनीटरिंग तथा ऐसी विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से अनुवर्ती प्रक्रिया योजना की सफलता को सरल बनाने के साथ साथ प्रभाव निर्धारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।